इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 611] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 नवम्बर 2018 —कार्तिक 24, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2018

क्र. एफ-ए-3-42-2018-1-पांच(95).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 45 और मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम (2017, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 81 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन व्यक्तियों को, जिनका रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा 30 सितम्बर, 2018 को या उसके पूर्व निरस्त कर दिया गया है, व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो उक्त नियमों के प्ररूप जी. एस. टी. आर. 10 में अंतिम विवरणी 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रस्तुत करेंगे.

2. यह अधिसूचना दिनांक 26 अक्टूबर 2018 को प्रकाशित हुई मान्य की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2018

क्र. एफ-ए-3-42-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-42-2018-1-पांच (95), दिनांक 15 नवम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 15th November 2018

No. F. A.3-42-2018-1-V (95).—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter in this notification referred to as the 'said Act,), read with Section 45 of the said Act and Rule 81 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the persons whose registration under the said Act has been cancelled by the proper officer on or before the 30th September, 2018, as the class of persons who shall furnish the final return in Form GSTR-10 of the said rules till the 31st December, 2018.

2. This notification shall deemed to have published on 26th October 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.